

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर
 G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक : प.6(ख)लेखा/आडिट समिति/एजी/डीएलवी/2020/१५५३५ दिनांक : २२/०२/२०२२

:: कार्यवाही विवरण ::

निर्धारित कार्य क्रमानुसार प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक: प.5(20)प्र.स./अनु.3/86 दिनांक 10.05.2010 द्वारा गठित विभागीय आडिट समिति की बैठक (A.G.) दिनांक 15.02.2022 को मध्याह्न पश्चात 04:00 बजे निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर की अध्यक्षता में निदेशालय के मीटिंग हॉल में सम्पन्न हुयी जिसमें जयपुर स्थित कार्यालयों के स्थानीय अधिकारी उपस्थित हुये एवं बाहर के अधिकारियों ने जरिये विडियो कान्फेसिंग भाग लिया। उक्तानुसार निर्धारित समय पर बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें निम्नांकित अधिकारीगण उपस्थित हुए :-

01. श्री हृदेश कुमार शर्मा, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
02. श्री महेन्द्र तांबी, उप महालेखाकार लेखापरीक्षा-II, राजस्थान जयपुर। (जरिये वीसी)
03. श्री आर.एल. परसोया, अतिरिक्त निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
04. श्री महेन्द्र मोहन, वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
05. श्री कृष्ण कन्हैया, वित्तीय सलाहकार, नगर निगम ग्रेटर, राजस्थान जयपुर
06. श्रीमति रेणु खण्डेलवाल, उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
07. श्री बी.के. अरोड़ा, वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त(अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान जयपुर।
08. श्रीमति भारती हरजवानी, वरिष्ठ लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
09. श्री एच.एस.मीणा, लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. श्रीमति सुमन लता मीणा, लेखाधिकारी, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर।
11. श्री. आर.के.चौहान, सहायक लेखाधिकारी प्रथम, कार्यालय उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
12. विडियो कान्फेसिंग के माध्यम से क्षेत्रीय उपनिदेशक, कोटा, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर इत्यादि ने भाग लिया।
13. अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण, निदेशालय जयपुर।

मिटिंग के दौरान प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान जयपुर द्वारा जारी किया गया एजेंडा दिनांक 09.02.2022 पर बिन्दुवार चर्चा की गयी। चर्चा उपरान्त बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये।

- 1 बिन्दु संख्या 1 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय द्वारा जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना एक माह के भीतर नियंत्रक अधिकारी की टिप्पणी एवं कुंजी दस्तावेज सहित भिजवानी होती है, किन्तु निकायों द्वारा इसे समय पर नहीं भिजवाया गया है। महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना के क्रम में शीघ्र प्रथम अनुपालना प्रस्तुत करने हेतु निकायों को निर्देश दिये गये।
2. बिन्दु संख्या 2 व 3 के अनुसार अंकेक्षण के उपरान्त जारी ज्ञापनों का जवाब नहीं देने, जॉच दल को रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाने, जॉच दल को सहयोग नहीं देने तथा गत वर्षों की बकाया प्रतिवेदनों की बकाया अनुपालना प्रस्तुत नहीं करने को अध्यक्ष एवं निदेशक महोदय ने गंभीरता से लिया तथा अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने निर्देशित किया की महालेखाकार कार्यालय के जॉच दल को अविलम्ब रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जाये व उनके मीमो का जवाब तुरन्त दिया जाये। साथ ही पुराने बकाया अनुच्छेदों की सारगर्भित अनुपालना तैयार कर प्रस्तुत की जावें।
- 3 निकायों के सनदी लेखाकार (C.A) द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखे (आय-व्यय खाता, तुलना पत्र एवं चट्टा) इस कार्यालय को भिजवाने के बारे में निर्देशित किया जाना के संबंध में अवगत कराया गया कि राज्य की समस्त नगरीय निकाये वित्तीय वर्ष की समाप्ति उपरान्त वार्षिक लेखों को सीए से अंकेक्षण कराये जाने पश्चात वार्षिक अंकेक्षित लेखों की एक प्रति निदेशालय में प्रेषित करती है तथा साथ ही निकायों द्वारा उक्त वार्षिक अंकेक्षित लेखों की सॉफ्ट प्रति निकाय की विभागीय वेबसाइट पर भी अपलोड की जाती है। जहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। जिन नगरीय निकायों के वर्ष 2020-21 के वार्षिक अंकेक्षित लेखे अभी तक भी प्रेषित नहीं किये गये

है। उनको माह मार्च 2022 तक आवश्यक रूप से वार्षिक अंकेक्षित लेखे भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

- 4 निकायों के वार्षिक लेखें दोहरी प्रविष्टि एवं उपर्जन आधारित प्रणाली पर संधारित करने की सुनिश्चिता का ध्यान रखते हुए राज्य की सभी नगरीय निकायों में Accrual System से लेखांकन कार्य हेतु RMAM के आधार पर राज्य में वर्ष 2010 से राजस्थान म्यूनिसिपल अकाउन्ट्स मैनुअल (RMAM) तैयार किये गये हैं। नगरीय निकायों में दोहरा लेखा प्रणाली से लेखांकन कार्य हेतु लेखांकन के क्षेत्र में दक्ष (skill) कार्मिकों के अभाव में विभागीय निविदा के माध्यम से सम्भागवार सीए फर्मों को सूचीबद्ध करते हुये सूचीबद्ध सीए फर्मों के outsourcing के माध्यम से नियमित तौर पर करवाया जा रहा है। सीए फर्मों को निर्देशित किया हुआ है कि वे नगरीय निकायों के लेखांकन कार्य RMAM के आधार पर संधारित करेंगे। नगरीय निकायों द्वारा सीए फर्मों को उपलब्ध कराये गये रिकार्ड, सूचना एवं डाटा के आधार पर ही सीए फर्म द्वारा Accrual System से लेखांकन कार्य सम्पादित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को बिना विलम्ब के प्रतिवर्ष निर्धारित समय पर सम्पन्न किया जा रहा है, पुनः इस बाबत संबंधित निकायों को उक्त कार्य हेतु निर्देशित किये जाने का निर्णय लिया।
- 5 जयपुर नगर निगम की वर्ष 1998-2001 से 2019-20 तक कुल 16 निरीक्षण प्रविवेदनों में शामिल 750 आक्षेपों की अनुपालना शेष है। जिसके संबंध में नगर निगम जयपुर के वित्तीय सलाहकार ने शीघ्र ही अनुपालना प्रेषित किये जाने की प्रतिबद्धता दोहराई जिसके लिये उन्हें निर्देशित किया गया कि शीघ्र ही महालेखाकार को पत्र लिख कर बकाया पैराज के निस्तारण हेतु निर्धारित तिथि पर शीघ्र कैम्प लगाकर अधिक से अधिक अनुच्छेदों को ठोस अनुपालना प्रस्तुत करते हुए बकाया पैराज को निरस्त करवाने का निर्देश दिया गया।
- 6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय) के अध्याय-III में शामिल वांछित सूचनायें निदेशालय द्वारा समय पर उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के संबंध में पूर्ण ध्यान रखते हुए वर्ष 2020-21 के सीएजी प्रतिवेदन हेतु सूचना विभागीय पत्रांक 20152 दिनांक 23.12.2021 द्वारा प्रेषित कर दी गई है। इसी तरह भविष्य में भी नियमित रूप से समय पर महालेखाकार को सूचनाएं उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया।
- 7 बकाया आक्षेपों के निस्तारण हेतु राज्यस्तरीय नोडल एजेन्सी/नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है अथवा नहीं के संबंध में विभाग में पहले से ही कार्यरत मुख्य लेखाधिकारी का पद वित्तीय सलाहकार के पद पर प्रोनन्त होने पर विभाग के वित्तीय सलाहकार को ही राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने की पालना कर दी गयी है।
- 8 माह दिसम्बर 2021 तक जारी कुल 918 निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं उनमें गठित कुल आक्षेप 7604 (भाग I एवं भाग II ख) बकाया है जिनमें से 07 नगर निगमों के कुल 1884 आक्षेप भी बकाया के संबंध में निकायों को शीघ्र ही कैम्प आयोजित कर ठोस अनुपालनाएं प्रस्तुत करते हुए बकाया अनुच्छेदों के निस्तारण बाबत निर्देश दिये जाकर अनुपालनाएं समय पर प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
- 9 चोरी, हानि, गबन संबंधी प्रकरण। (गबन 7/चोरी 01) के संबंध में जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है, उनकी प्रगति से अवगत कराने, जिनकी वसूली बकाया है यथासम्भव वसूली करने एवं प्रकरणों के अनुसार अनुपालना कर प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण करवाने हेतु निर्देशित किया गया।
- 10 ड्राफ्ट पैरा एवं तथ्यात्मक विवरणों के प्रत्युत्तर प्रेषित नहीं करने से संबंधित प्रकरण (12 प्रकरण) के संबंध में संबंधित को शीघ्र ही पालना प्रेषित करने हेतु कहा गया ताकि उक्त ड्राफ्ट पैरा एवं तथ्यात्मक विवरण आगे जाकर सीएजी रिपोर्ट में शामिल नहीं हो। इस सम्बंध में निर्धारित समय में सम्बंधित निकायों द्वारा शीघ्र ही प्रत्युत्तर तैयार कर अनुपालना भिजवाने के निर्देश दिये गये।
- 11 ओ.बी. आइटमों/प्रकरणों की सूचना 1 प्रकरण के संबंध में शीघ्र ही महालेखाकार को अनुपालना से अवगत कराने बाबत निर्णय लिया गया।
- 12 बिन्दु संख्या 13 के अनुसार अध्यक्ष महोदय जी ने निर्देशित किया कि विभाग द्वारा जारी आदेश/परिपत्र/दिशा-निर्देशों/संशोधनों की एक एक प्रति महालेखाकार, सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र (लेखापरीक्षा) जयपुर को आवश्यक रूप से पृष्ठांकित की जावें।
चर्चा के दौरान निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार स्थानीय निकाय विभाग ने बकाया पैराज के संबंध में गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा बकाया पैराज की अनुपालना हेतु आयोजित होने वाले कैम्पों में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया।

चर्चा के पश्चात अध्यक्ष महोदय जी ने निर्देशित किया कि विभागीय आडिट कमेटी की मिटिंग त्रैमासिक किया जाना सुनिश्चित करे।

अन्त में बैठक का अध्यक्ष महोदय द्वारा सधन्यवाद समापन किया गया।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.6(ख)लेखा/आडिट समिति/एजी/डीएलबी/2020/२५५३६-७८५ दिनांक : २२/०२/२०२२

01. प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. निजी सहायक, निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
04. आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा उत्तर/ कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण ।
05. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण अनुभाग), शासन सचिवालय, जयपुर।
06. निदेशक, निरीक्षण विभाग, वित्त भवन, जयपुर।
07. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
08. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग बीकानेर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर/कोटा/अजमेर/जोधपुर।
09. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम, बीकानेर/जयपुर हैरीटेज/जयपुर ग्रेटर/ उदयपुर/ भरतपुर/कोटा उत्तर/ कोटा दक्षिण/अजमेर/जोधपुर उत्तर/जोधपुर दक्षिण ।
10. वरिष्ठ लेखाधिकारी (अंकेक्षण), स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर।
11. समस्त आयुक्त/अधिशोषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, राजस्थान को तुरन्त पालनार्थ।
12. कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी, संस्थापन को सूचनार्थ।
13. प्रभारी आईटी सेल को विभागीय बैवसाईड पर अपलोड करवाने हेतु।

(महेन्द्र मोहन)

वित्तीय सलाहकार